FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

मिसल संख्या ...352...../ 2024

वाद पत्र :– घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवानी

हरिओम पुत्र जयमल राम उम्र 38 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी सांवावाली तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

बनाम

रमेशचन्द्र पुत्र झण्डूराम उम्र 43 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 ढाणी बावड़ी तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2024	आज यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी की ओर से उनके अभिभाषक श्री हेमराज सिंह ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता वादी को सुना गया। वादी के द्वारा कृषि भूमि के ईकरारनामा के आधार पर जरिये नोटेरी किये गये बेचान को लेकर हस्तगत वाद पत्र के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, जो एक सिविल प्रकृति का मामला है। न्यायालय हाजा को इस प्रकार के वाद में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा जमाबन्दी के अवलोकन से पाया कि वादग्रस्त भूमि स्थित राजस्व ग्राम बबाई खसरा नम्बर 492, 493, 494 एवं 497 कुल किता 4 कुल रकबा 1.10 हेक्टेयर के संबंध में एक सिविल वाद माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के यहां विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 38/2020 द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है वे विवादित भूमि का स्थानान्तरण किसी अन्य को ना करें। रमेशचन्द्र पुत्र श्री झण्डूराम जाति माली निवासी बबाई वार्ड नम्बर 17 तहसील खेतडी हस्तगत वाद का प्रतिवादी संख्या 1 माननीय सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश से पाबन्द है। फिर भी वादग्रस्त भूमि का जरिये ईकरारनामा के वादी को बेचान किया है तथा वादी के द्वारा तथ्य छुपाकर उक्त वाद राजस्व न्यायालय में पेश किया। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी का हस्तगत वाद पत्र घोषणीय नहीं होने से एडमिट स्तर पर ही अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा सिविल वाद के तथ्य को छुपाकर हस्तगत वाद पत्र पेश करने के जुर्म में वादी को 20,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि वादी न्यायालय हाजा में जमा करावें। मिसल दर्ज रजिस्टर होकर, नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी	

Signature Not Verif
Digitally signed by Bans
Date: 2024.12.09 17:38
Reason: SelfAttested